शिक्षा में बहुभाषिकता
चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

पवन कुमार यादव*

भूमंडलीकरण के इस युग में आज विश्व के सभी देश सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि जीवन के सभी क्षेत्रों में एक-दूसरे पर निर्भर हैं। वैश्वीकरण की यह प्रक्रिया एक तरफ़ तो विभिन्न भाषा, संस्कृति के लोगों को एक-दूसरे के निकट लाती है, वहीं दूसरी ओर उनके समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी खड़ी करती है। इस समय पूरे विश्व में लगभग 6909 भाषाएँ अस्तित्व में हैं, जिनमें से कुछ विलुप्तता के कगार पर हैं। भारत में 22 भाषाएँ भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं तथा लगभग 700 से अधिक भाषाएँ व्यावहारिक रूप से बोली जाती हैं। भारत एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक एवं बहुजातीय देश है और यही इसकी अनूठी विशेषता भी है। इसे देश की एकता, अखण्डता एवं विभिन्न जाति, धर्म, भाषा एवं संस्कृति के लोगों के समन्वित विकास के लिए संरक्षित एवं संवर्द्धित किया जाना अति आवश्यक है और यह कार्य भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में बहुभाषिकता को अपनाकर ही किया जा सकता है। हमें विभिन्न भाषा, संस्कृति एवं क्षेत्र के विद्यार्थियों को उनकी स्वाभाविक भाषाई, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विशेषताओं एवं विभिन्नताओं के साथ स्वीकार करना होगा तभी हम अपनी शैक्षिक व्यवस्था में सभी विद्यार्थियों को समावेशित कर पाएँगे। किंतु यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस शोध पत्र में भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के अंतर्गत बहुभाषिकता के समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं संभावनाओं को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है

पारस्परिक निर्भरता के इस युग में विश्व समुदाय को वैश्वीकरण के प्रभावस्वरूप कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें पूरे विश्व में एक भाषा एवं संस्कृति को फैलाने का प्रयास एक प्रमुख चुनौती है। भाषाई-सांस्कृतिक साम्राज्यवाद या भाषाई-सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास इस भूमंडलीकृत विश्व में बहुभाषिकता के लिए प्रमुख चुनौती है। इसके लिए भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियाँ ही ज़िम्मेदार हैं। अपने लेख में शंभूनाथ का भी यही मानना है कि, "आज व्यक्ति की नजर में किसी भाषा की महत्ता सामान्यतया इससे तय नहीं होती कि इसका सम्बन्ध उसकी जातीय और सांस्कृतिक पहचान से है अथवा यह उसकी मातृभाषा है, बल्कि इससे तय होता है कि यह भाषा बाज़ार में कितनी दौड़ सकती है... यदि भूमंडलीकरण निरंकुश ढंग से इसी प्रकार जारी रहा, तो यह विश्व की सैकड़ों भाषाओं का चेहरा बिगाड़

**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षक-शिक्षा प्रभाग, फकीरचंद महाविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, डायमंड हार्बर, पश्चिम बंगाल–743331

देगा, सैकड़ों भाषाओं को चबा जायेगा और सांस्कृतिक विविधता को उजाड़ देगा" (शंभूनाथ, 2008, पृ. 49)।

भाषा मानव मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त साधन है। साथ ही लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का माध्यम भी। शैक्षिक एवं सामाजिक संदर्भ में हम देखें तो भाषा के मुख्यतः तीन पक्ष हैं। एक तो यह कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है और इसके द्वारा ही मनुष्य अपने समाज का निर्माण करता है। इसके बिना किसी समाज का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा के बिना लोग आपस में विचार-विनिमय ही नहीं कर सकते। दूसरा यह कि भाषा का बुनियादी कार्य मनुष्य को सजग और सचेत बनाना है। इस प्रकार आत्म-बोध और जगत-बोध, दोनों का माध्यम भाषा ही है। भाषा का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उसमें मनुष्य अपनी सृजनशीलता व्यक्त करता है। मनुष्य जो कुछ रचता है, उससे ही संस्कृतियों का निर्माण होता है। भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। हम देखते हैं तो पाते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के नाम उनकी भाषाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे — बांग्ला संस्कृति, मराठी संस्कृति, तमिल संस्कृति इत्यादि। इसी तरह हम विश्व में जर्मन संस्कृति, रूसी संस्कृति, चीनी संस्कृति इत्यादि को भी देख सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न भाषाओं के विकास एवं संवर्द्धन द्वारा ही मानव समाज की विभिन्न संस्कृतियों का विकास एवं संवर्द्धन संभव है।

भारत की भाषाई विविधता — एक अवलोकन

भारत केवल इस मामले में ही अनूठा नहीं है कि यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं, वरन् इन भाषाओं में अनेक भाषा परिवारों का प्रतिनिधित्व भी है। दुनिया के किसी भी अन्य देश में पाँच भाषा परिवारों की भाषाएँ नहीं पाई जातीं। संरचना के स्तर पर भारतीय भाषाएँ इतनी भिन्न हैं कि उन्हें विभिन्न पाँच भाषा परिवारों — इण्डो-आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, तिब्बती-बर्मन एवं अंडमानी में वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वप्रथम ब्रिटिश भारत में सर जी. ए. ग्रियर्सन (1927) ने भारत की भाषाई विविधता को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया। 1886 ई. से 1927 ई. के मध्य किए गए अपने 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया' में उन्होंने 179 भाषाओं एवं 549 बोलियों की पहचान की। तत्पश्चात् स्वतंत्र भारत में 1951 ई. की जनगणना में 845 भाषाओं एवं बोलियों को सूचीबद्ध किया गया। इसके पश्चात् 1961 ई. की जनगणना में भाषाई बहुलता को व्यापक दायरे में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हुए 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया' के भाषा वर्गीकरण को संदर्भ के रूप में अपनाया गया। 1961 की जनगणना द्वारा 1652 मातृभाषाओं को चिह्नित कर उन्हें 193 भाषाओं में वर्गीकृत किया गया। 2001 की नवीनतम भाषाई जनगणना के अनुसार भारत में 122 भाषाएँ एवं 234 मातृभाषाएँ हैं। इनमें से 96.56 प्रतिशत भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं को बोलने वाले हैं।

भारतीय संविधान में भाषा-विषयक उपबंध भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 29, 30, 120 तथा 210 एवं आठवीं अनुसूची में भी दिए गए हैं। "मूल संविधान

में 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा 14 भाषाओं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू, उर्दू को प्रादेशिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई थी। कालान्तर में समय-समय पर अन्य भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 द्वारा सिन्धी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को एवं 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के पश्चात अब यह संख्या 22 हो गई है" (मंगलानी, 2009, पृ. 505)।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत की विभिन्न भाषाओं के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास के लिए व्यापक प्रावधान कर भारत की बहुभाषिक संस्कृति को संरक्षित किया गया है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में बहुभाषिकता के समक्ष चुनौतियाँ

भारतीय संदर्भ में यदि हम देखें तो शिक्षा में बहुभाषिकता को अपनाना आसान नहीं है। इस मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ एवं चुनौतियाँ हैं, जिन्हें हम निम्न रूपों में देख सकते हैं—

- एक भाषा में अपने बोलने वालों की पहचान, उनकी अभिवृत्ति, उनकी आकांक्षाओं एवं उनकी संस्कृति को अभिव्यक्त करने की असीम शक्ति होती है। किसी समाज में कुछ सामाजिक एवं राजनीतिक कारक उस समाज की कुछ भाषाओं को अन्य भाषाओं से प्रतिष्ठित बना देते हैं, जिससे वे उस समाज में एक मानदण्ड के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। समाज के सभी सदस्य उस भाषा से ही अपनी पहचान, सम्मान एवं योग्यता को जोड़कर देखने लगते हैं। यह बहुभाषिकता के लिए खतरनाक है। भारतीय परिदृश्य में भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही हैं। आज भारत में अंग्रेज़ी एक वर्चस्वशाली भाषा की स्थिति में है। यह उच्च एवं संभ्रांत वर्ग की भाषा मानी जाती है और लोग इसे पद, प्रतिष्ठा एवं रोज़गार से जोड़कर भी देखते हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया का भी मानना था कि, "अंग्रेज़ी के साथ-साथ जो रूतबा और पैसा जुड़ा हुआ है, इसलिए अंग्रेज़ी चल रही है" (लोहिया, 2013, पृ. 88)।

आज अंग्रेज़ी वैश्विक रूप से एक शक्तिशाली भाषा है। विद्यालय से लेकर बाज़ार तक यह भाषाई पदानुक्रम में सबसे ऊपर स्थित है। अतः ऐसे परिदृश्य में अभिभावक भी अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों में ही पढ़ाना चाहते हैं, जिससे उन्हें अपनी सफलता के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकें। "हमारी प्रारम्भिक से उच्च शिक्षा तक आज भी अंग्रेज़ी की मुहताज है या बना दी गई है। धीरे-धीरे पूरी शिक्षा पद्धति अंग्रेज़ी के मकड़जाल में और फँसती जा रही है। गाँव-गाँव में इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने का चलन बढ़ा है" (मिश्र, 2017, पृ. 12)।

इस प्रकार शैक्षिक व्यवस्था में एक ही भाषा का यह बढ़ता हुआ वर्चस्व शिक्षा में बहुभाषिकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है।

- भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में बहुभाषिकता के विकास के मार्ग में एक अन्य सबसे प्रमुख

चुनौती भारत की भाषाई राजनीति है। स्वतंत्रता के पश्चात् 1960 के दशक में भारत में भाषा की राजनीति विकराल एवं जटिल रूप में उभरी है। राजनीतिक दलों ने अपने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए भाषा के आधार पर लोगों की क्षेत्रीय भावनाओं को बढ़ावा दिया। एक ओर उत्तर भारत के राज्यों में 'अंग्रेज़ी विरोधी' प्रदर्शन एवं उपद्रव हुए तो दूसरी ओर दक्षिण के राज्यों के नेताओं को ऐसा लगा कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। अतः उन्होंने 'हिंदी विरोध' को उग्र रूप दिया, जैसे — तमिलनाडु में 'द्रविड़ मुनेत्र कड़गम' ने 1965 ई. में एक विशाल भाषा आंदोलन को प्रायोजित किया और 1967 ई. के चुनाव में इसने भाषाई आंदोलन की पृष्ठभूमि में चुनाव लड़कर राजनीतिक सफलता भी प्राप्त की। इस प्रकार इन संकीर्ण भाषाई आंदोलनों से भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में बहुभाषिकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई एवं इससे अंग्रेज़ी का भाषाई वर्चस्व और बढ़ा एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हुआ। इसने भाषाई असहिष्णुता को बल प्रदान किया।

- हमारे देश में विद्यालयों की संरचनात्मक बाधाएँ भी बहुभाषिकता को बढ़ावा देने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं। विद्यालय के पास प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिए कुछ निर्धारित समय होता है और इस निर्धारित समय में ही शिक्षकों को अपना पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है। शिक्षकों के पास बहुभाषिकता को बढ़ावा देने हेतु नवीन रणनीतियों के निर्माण के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। उन्हें शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गैर-शैक्षणिक शासकीय कार्य भी करने पड़ते हैं। अतः इससे शिक्षा में बहुभाषिकता का विकास अवरुद्ध होता है।
- भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण का दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी शिक्षा में बहुभाषिकता के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है। हमारे देश में शिक्षकों का प्रशिक्षण इस ढंग से नहीं हो पा रहा है कि वे विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय एवं भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की भाषाई विशिष्टताओं को समझ सकें, उनसे उनकी भाषा में विमर्श कर सकें तथा उनके प्रश्नों को संबोधित करते हुए कक्षा में विमर्श का एक बहुभाषिक वातावरण तैयार कर सकें।
- हमारे देश की दोषपूर्ण भाषा-नीति भी शिक्षा में बहुभाषिकता के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। भारत में सैकड़ों भाषाएँ एवं बोलियाँ बोली जाती हैं। किंतु हमारे संविधान में मात्र 22 भाषाओं को ही आठवीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। प्रश्न उठता है कि आठवीं अनुसूची में भारत की जिन भाषाओं को हमने स्थान दिया है, उसका आधार क्या है? और जिन भाषाओं को उसमें स्थान नहीं दिया गया है, वह किस आधार पर नहीं दिया गया है? इसके साथ ही हमारे देश में ऐसी बहुत-सी भाषाएँ हैं, जिन्हें स्थानीय बोलियाँ कहा जाता है। इन्हें महत्वहीन मानकर क्या हम इनके बोलने वालों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। एक बहुभाषिक राज्य में भाषा और बोली में फ़र्क करना अनुचित, अन्यायपूर्ण, अमानवीय तथा जनतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध

है। इस संदर्भ में *लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज़्म* पुस्तक में रॉबर्ट फिलिपसन द्वारा उद्धृत फ्रांसीसी भाषा-विज्ञानी काल्वेत का यह कथन हमेशा याद रखने लायक है कि, "बोली और कुछ नहीं केवल एक हरा दी गयी भाषा है और भाषा एक बोली ही है, जो राजनीतिक रूप से जीत गयी है" (उपाध्याय और उपाध्याय, 2008, पृ. 44)।

इस प्रकार स्पष्ट है कि इन स्थानीय बोलियों को हमने अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम और विमर्श का हिस्सा नहीं बनने दिया, जिससे आज अधिकांश बोलियाँ विलुप्तता के कगार पर पहुँच गई हैं। इससे बहुभाषिकता को गहरा आघात पहुँचा है। इसके साथ ही हमने शैक्षिक व्यवस्था में त्रिभाषा-फ़ार्मूले को भी उसकी अवधारणात्मक कमियों को दूर कर सच्ची भावना के साथ लागू करने का प्रयास नहीं किया है।

- इसके अलावा, भारत की अनेक क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोलियों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से हमने समृद्ध बनाने का सच्चे मन से प्रयास नहीं किया। जिसके कारण ये भाषाएँ उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की भाषा नहीं बन सकीं तथा लोगों का इनसे मोहभंग हुआ और शैक्षिक व्यवस्था में कुछ भाषाओं का वर्चस्व स्थापित हो गया। "अगर आजादी के बाद भारतीय भाषाओं का विकास किया गया होता तो हमारी भाषाएँ अंग्रेज़ी से टक्कर ले सकती थीं। लेकिन उनका विकास नहीं किया गया और अंग्रेज़ी को विभाजन के औजार के रूप में बनाये रखा गया। इसी का नतीजा है कि हमारी भाषाओं में विज्ञान एवं तकनीकी की बहुत सारी शब्दावली नहीं है और हमें अंग्रेज़ी की शब्दावली से काम चलाना पड़ता है" (उपाध्याय और उपाध्याय, 2009, पृ. 14)।

भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने हेतु उपाय

भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने हेतु हम निम्न प्रयास कर सकते हैं—

- सर्वप्रथम, अपनी भाषा-नीति निर्धारित करते समय हमें यह देखना होगा कि भाषा समता का आधार हो, परस्पर आदान-प्रदान और मेल-जोल का माध्यम हो न कि भेदभाव अथवा वर्ग विभाजन का। भारत की भाषाई विविधता हमारे समक्ष जटिल चुनौती तो पेश करती है, किंतु यह हमें कई प्रकार के अवसर भी देती है, जिनका लाभ शिक्षा में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त किया जा सकता है। गांधीजी ने *हिन्द स्वराज* में ठीक ही कहा है कि, "मुझे तो लगता है कि हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्ज्वल-शानदार बनाना चाहिए" (गांधी, 2014, पृ. 69)।

शिक्षा में बहुभाषिकता के लिए यह अति आवश्यक है कि हमारे देश की जितनी भी भाषाएँ हैं, वे सभी संरक्षित की जाएँ तथा आपसी आदान-प्रदान के ज़रिए समृद्ध बनें। भारत में आज भी ऐसी बहुत-सी भाषाएँ हैं, जिन्हें स्थानीय बोलियाँ कहा जाता है। इन बोलियों की कोई लिपि और व्याकरण नहीं बना है, लेकिन इनमें गीतों, कहानियों आदि की बहुत समृद्ध मौखिक परम्पराएँ हैं, जो विद्यार्थियों के

सामाजिक जीवन से जुड़ी होती हैं। शैक्षणिक विमर्श में यदि इन बोलियों को सम्मिलित किया जाए तो इससे भी बहुभाषिकता को बढ़ावा मिलेगा। इस तथ्य पर बल देते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा 'भारतीय भाषाओं के शिक्षण' पर गठित *राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र* में भी कहा गया है कि, "यदि हम चाहते हैं कि ऐसा जनतंत्र पनपे जिसमें सभी की भागीदारी संभव हो सके तो हमें प्रत्येक बच्चे को उसकी भाषा में सुनना होगा... त्रिभाषा-सूत्र को कार्यान्वित करने के लिए कड़े नियमों के बजाए बहुभाषिकतावाद को बनाये रखने व इसे जीवंतता प्रदान करने का प्रयास किसी भी भाषा, योजना का केन्द्र होना चाहिए" (*राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र*, *2009*, पृ. 21)।

- इसके साथ ही, शिक्षा में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोलियों को संरक्षित एवं विकसित कर वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से उन्हें दक्ष बनाएँ। जिससे ये भी इंटरनेट, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की भाषा बन सकें तथा इन क्षेत्रों में कुछ भाषाओं का जो वर्चस्व स्थापित है, वह समाप्त हो सके।
- शिक्षा में बहुभाषिकता के लिए ज़रूरत इस बात की है कि पाठ्यचर्या निर्माता, पाठ्यपुस्तक लेखक, शिक्षक, माता-पिता या अभिभावक बहुभाषिकता की महत्ता को समझें ताकि वे बच्चों को अपने इर्द-गिर्द मौजूद सांस्कृतिक और भाषिक विविधता के प्रति सुग्राही बना सकें और उन्हें अपने विकास के संसाधन के रूप में प्रयुक्त करने के प्रति प्रोत्साहित करें। इस तथ्य पर बल देते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा 'भारतीय भाषाओं का शिक्षण' पर गठित *राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र* में भी कहा गया है कि, "हम पाठ्यचर्या निर्माताओं, पाठ्यपुस्तक लिखने वालों, शिक्षकों और माता-पिता का ध्यान अल्पसंख्यकों व आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं और विलुप्तता के कगार पर खड़ी भाषाओं की ओर दिलाना चाहते हैं। ये भाषाएँ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं और ज्ञान व्यवस्था का खजाना हैं और हमें उन्हें जीवंत रखने का हर सम्भव प्रयास करना चाहिए। विद्यालयी पाठ्यचर्या में इनके लिए प्रावधान रखकर ही हम इस कार्य को सम्पन्न कर सकते हैं" (*राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र, 2009,* पृ.17)।

  यही बात *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में भी कही गई है कि, "बच्चे प्रारम्भ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। 'त्रिभाषा-फार्मूला' को उसके मूलभाव के साथ लागू किए जाने की जरूरत है, ताकि वह बहुभाषी देश में बहुभाषी संवाद के माहौल को बढ़ावा दे" (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*, पृ. 42)।

  इस प्रकार, भाषा को लेकर पाठ्यचर्या में ऐसी नीति अपनाने से विद्यालयों में बहुभाषिकता को बढ़ावा मिलेगा।
- शिक्षा में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक-प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों को भाषा की प्रकृति, संरचना और प्रकार्यों, भाषिक सम्प्राप्ति, भाषिक परिवर्तनों एवं विविध

भाषाई विशिष्टताओं के प्रति संवेदनशील बनाए जाने तथा उन्हें ऐसी कार्यनीतियों से परिपूर्ण बनाने की आवश्यकता है जिससे वे बहुभाषी कक्षा में परिस्थिति के अनुरूप संसाधन विकसित कर सकें। "बहुभाषी कक्षाएँ जो कि भारत में सामान्यतः बहुतायत में होती हैं, उन्हें शिक्षा में अवरोध के बजाए, संसाधन के तौर पर देखा जाना चाहिए। शिक्षकों को कक्षाओं को महज पढ़ाने की जगह ही नहीं बल्कि सीखने की जगह के रूप में भी लेना चाहिए। बहुभाषी कक्षाएँ भाषाई व सांस्कृतिक विविधता के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो सकती है" (*राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र, 2009*, पृ. 32)।

- कक्षा में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक एवं विद्यार्थी, दोनों के सम्मिलित प्रयासों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षक कक्षा में एक नियत मानक भाषा का प्रयोग कठोरतापूर्वक न करें, वरन् विद्यार्थियों को उनकी क्षेत्रीय या आम बोलचाल की भाषा में भी अपने विचार व्यक्त करने एवं विमर्श के अवसर उपलब्ध कराएँ। इसी तरह विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी भी शिक्षकों को अपनी भाषा से परिचित कराएँ।
- शिक्षा में बहुभाषिकता के लिए विद्यालयों की संरचनात्मक बाधाओं को भी दूर किए जाने की आवश्यकता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एवं उनके द्वारा प्राप्त शैक्षिक ज्ञान के मूल्यांकन के लिए बहुभाषी एवं लचीला दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक शासकीय कार्यों का उत्तरदायित्व नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी कक्षा पर पर्याप्त ध्यान दे सकें एवं बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए नवीन रणनीतियाँ बना सकें एवं उनका प्रयोग कर सकें।
- बहुत समय तक समाज में यह नकारात्मक अवधारणा व्याप्त थी कि बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक वृद्धि एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किंतु इस संदर्भ में हुए कुछ अध्ययनों, जैसे — पीअल और लम्बर्ट (1962), गार्डनर और लम्बर्ट (1972) तथा कमीन्स और स्वैन (1986) इत्यादि ने इस अवधारणा को नकार दिया है। इन्होंने अपने अध्ययनों द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि बहुभाषिकता, संज्ञानात्मक लचीलापन व विद्वत् उपलब्धि में सकारात्मक सह-संबंध होता है। दो या दो से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं व विषयों पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि अकादमिक स्तर पर भी वे ज़्यादा रचनात्मक दिखते हैं, साथ ही उनमें ज़्यादा सामाजिक सहिष्णुता भी पाई गई है। अतः शिक्षा में बहुभाषिकता के विकास के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जिससे अभिभावक, शिक्षक, पाठ्यचर्या निर्माता एवं विद्यालय इस पर सकारात्मक रूप से सोचें।

निष्कर्ष

भारत एक बहुभाषी देश है। भारत की यह अनूठी भाषाई विविधता एक तरफ़ तो जटिल चुनौती पेश

करती है, किंतु दूसरी तरफ़ कई प्रकार के अवसरों को भी लाती है। आज हमें भाषा को वर्चस्व के माध्यम के रूप में न देखकर अभिव्यक्ति एवं सामाजिक संबंधों के निमार्ण के माध्यम के रूप में देखने की आवश्यकता है, तभी हम सच्चे अर्थों में बहुभाषिकता को बढ़ावा दे सकेंगे एवं शैक्षिक व्यवस्था में विभिन्न भाषाओं को अपनाने के प्रति उदार तथा सहिष्णु बन सकेंगे।

संदर्भ

उपाध्याय, रमेश और संज्ञा उपाध्याय. (संपादक). 2008. *भाषा और भूमण्डलीकरण.* पृ. 44. शब्द संधान, नयी दिल्ली.

———. 2009. *सांस्कृतिक साम्राज्यवाद.* पृ. 14. शब्द संधान, नयी दिल्ली.

कमीन्स, जिम और मेरिल स्वैन. 1986. *बायलिंग्विलिज़्म इन एजुकेशन*. लोंगमैन, लंदन.

गांधी, महात्मा. 2014. *हिन्द स्वराज*. पृ. 69. शिक्षा भारती, दिल्ली.

गार्डनर, रॉबर्ट. सी. और वौलेस. ई. लम्बर्ट. 1972. *एटीट्यूड एंड मोटिवेशन इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग*. न्यूबरी हाउस पब्लिशर्स, मैसाचुसेट्स.

ग्रियर्सन, जी. ए. 1927. *लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया.* वॉल्यूम 1. मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली.

गृह मंत्रालय. 1951. *सेन्सस ऑफ़ इंडिया 1951*. रजिस्ट्रार जनरल एंड सेन्सस कमिशन, नयी दिल्ली. http://www.censusindia.gov.in. से लिया गया है.

———. 1961. *सेन्सस ऑफ़ इंडिया 1961*. रजिस्ट्रार जनरल एंड सेन्सस कमिशन, नयी दिल्ली. http://www.censusindia.gov.in. से लिया गया है.

———. 2001. *सेन्सस ऑफ़ इंडिया 2001*. रजिस्ट्रार जनरल एंड सेन्सस कमिशन, नयी दिल्ली. http://www.censusindia.gov.in. से लिया गया है.

पीअल, एलिज़ाबेथ. और वौलेस. ई. लम्बर्ट. 1962. द रिलेशन ऑफ़ बायलिंग्विलिज़्म टू इंटेलीजेंस. *साइकोलॉजिकल मोनोग्राफ़*. अमेरिकन साइकॉलॉजिकल असोसिएशन.

मंगलानी, रूपा. 2009. *भारतीय शासन एवं राजनीति*. (तृतीय संस्करण). पृ. 505. हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान.

मिश्र, बुद्धिनाथ. 2017, सितम्बर 14. आठवीं अनुसूची की भाषायी राजनीति. *हिन्दुस्तान.* पृ. 12. नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. *2006 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. पृ. 42. रा. शै. अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

———. 2009. भारतीय भाषाओं का शिक्षण. *राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र*. पृ. 17, 21, 32. रा. शै. अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

लोहिया, राम मनोहर. 2013. *समता और सम्पन्नता.* (चतुर्थ संस्करण). पृ. 88. लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद.

शंभूनाथ. 2008. भूमंडलीकरण— एक भीषण सांस्कृतिक उन्मूलन. उपाध्याय, रमेश और संज्ञा उपाध्याय. (संपादक). *भाषा और भूमण्डलीकरण.* शब्द संधान, नयी दिल्ली.